



मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) नाकरासर

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उनवान

प्रमोद कुमार बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत रिपोर्ट दुस्तरी अन्तर्गत धारा 88 RTI

मुकदमा नम्बर :- 9/2022

निर्णय दिनांक :- 30-05-22

वादी की ओर से 30-05-22 की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30-05-22 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वादी स्वीकार किया जाकर शैली राम दुधवा मीठा के खाता सं: 35 खं: न 225 व खाता सं: 120 खं: न 190/53/71 की जमा बंदी में अंकित किनोद पुत्र खिंकाराम के स्थान पर प्रमोद कुमार पुत्र खिंकाराम नाम किये जाने की घोषणा की जाती है। तदखिलाफ चूरु डूंगानुसार राजस्व अधिकार क्षेत्र में अभिलेख दर्ज करे। अविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में पूर्व नाम मान्य होगा।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 30-05-22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	



नां फो 1619
30-05-22